

संक्षा :- न्यायालय श्रीमान् ५०५० राजस्व नं १११ पर केंद्र सागर

श्रीमति बन्धु उनेजा आदि ४८ सात पर्टन की तालिने दुजा

पुत्रों स्वर्ग श्री रघुसींग उनेजा

साकिन - १७ केंट सागर तालिन वा जिला सागर (५०५०)

R ४०८१ - I-16

आवेदिता

पुनरीकाण करना

B.C.R.

21 NOV 2016

।। विष्णु ।।

म०५० शासन

अनुचित

उचिदाता

प्रस्तुत दिनां

राजस्व पुनरीकाण अं०

पुनरीकाण अंतर्गत धारा ५० म०५० मूरा० सं १४६

पुनरीकाण का संक्षिप्त विवरण

उपरोक्त पुनरीकाण न्यायालय श्रीमान् उन्नुबिमानीय

अधिकारी सागर के राजस्व पास्ता अं० : ई-बा०२ वर्ष १५-१६  
नाम पदाकार श्रीमति बन्धु उनेजा विष्णु म०५० शासन में पारित  
आदेश दिनांक १४-७-१५ के बादेश से छुलित होकर यह पुनरीकाण  
निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाकर उक्त प्रकरण में आवेदिका  
को न्याय दान करने के लिए निम्न न्यायालय के बादेश कोनिकास्त  
कर एक नवोन बादेश पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

(१) :- यह कि आवेदिका । सरोददार श्रीमति बन्धु उनेजा

ने बैचवार नवोन बेशरवानी बल्द राज्यमार क्षेत्रानी साकिन -

६१४०, सदर बाजार जागा से रजिस्ट्रो छुदा देना दिनांक -  
१६-६-२०१५ को मौजा सिरोंजा घृहनं०-७४ रा०नि०मं सागर-२

तहसील वा जिला सारा उभिस्वामी हक की नं० बल्दा नंबर ३२२

प्राप्ति नं० नं० दंडी नं० ६००८००-

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4081-एक / 2016

जिला सागर

श्रीमती अन्जू जुनोजा

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-3-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह (निगरानी 96/अ-2/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-7-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 6-5-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>  	